

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-292/2019

संजय कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य और अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए : श्री बजरंग कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री पिंगी तिवारी, ए०जी० के लिए ए०सी०

4/11.02.2022 श्री बजरंग कुमार, विद्वान अधिवक्ता, याची के विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत सहाय के निर्देश पर इस दीवानी विविध याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहता है।

प्रार्थना की अनुमति है।

इस सिविल विविध याचिका को वापस ले लिया जाय।

(आनंदा सेन, न्याया०)